राजस्व वाद संख्या 127/2024
उनवान हनीफ बनाम आसिकअली वगैरा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत   सहायक कलक्टर मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास   श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हनीफ पुत्र रहीम जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. आसिकअली पुत्र हनीफ 2. दोदौ पुत्र हनीफ 3. अब्दुल पुत्र हनीफ(फौत) के कायम मुकाम 1 जनत पत्नी अब्दुल 2 मुखतारअली पुत्र अब्दुल 3 हाकमखान पुत्र अब्दुल 4 कुर्बानअली पुत्र अब्दुल नाबालिंग जरिए कुदरती वलीय माता जनत पत्नी अब्दुल जातियान मुसलमान निवासीगण सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 4. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर : 127/2024
दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

हनीफ बनाम आसिकअली वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुद्दई **वादी वकील श्री करनाराम कड़वासरा उपस्थित एवं प्रतिवादीगण वकील मेहराराम सारण,** मनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री किया जाता है कि **खेत मौजा सिंहानिया पटवार मण्डल अरटी भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 548/281 रकबा 12.1406 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 856/547 रकबा 6.0703 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम भूमि का पूर्ण हिस्सा वादी की खातेदारी में घोषित किया जाता है।**

अतः तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से दिनांक 06.05.2025 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शास्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शास्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्ष्यों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.11 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 127/2024
उनवान हनीफ बनाम आसिकअली वगैरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 127/2024
पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

उनवानः–

वादी–1. हनीफ पुत्र रहीम जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आसिकअली पुत्र हनीफ
2. दोदो पुत्र हनीफ
3. अब्दुल पुत्र हनीफ(फौत) के कायम मुकाम
   3(1) जनत पत्नी अब्दुल
   3(2) मुखतारअली पुत्र अब्दुल
   3(3) हाकमखान पुत्र अब्दुल
   3(4) कुर्बानअली पुत्र अब्दुल
   नाबालिंग जरिए कुदरती वलीय माता जनत पत्नी अब्दुल जातियान मुसलमान निवासीगण सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
4. तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण– वादी वकील – **श्री करनाराम कड़वासरा**
प्रतिवादीगण वकील– **मेहराराम सारण**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 06.05.2025

वादी हनीफ पुत्र रहीम जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा पेश वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि " वादी व प्रतिवादीगण का पैतृक पुश्तैनी सामूहिक कब्जा–काश्त का खेत मौजा सिंहानिया तहसील सेड़वा खेत खसरा नम्बर 548/281 रकबा 12.1406 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 856/547 रकबा 6.0703 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। वंशावली अनुसार रहीम के तीन पुत्र हनीफ, ताहर व आलु थे। आलु नाऔलाद फौत हो गया था, ताहर व ताहर की पत्नी बम्बी भी नाऔलाद फौत हो चुके है। हनीफ के [illegible] आसिकअली, दोदो व अब्दुल थे। अब्दुल पुत्र हनीफ फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.11 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

होने पर इनके वारिस मुख्तार अली, हाकमखां, कुर्बानअली पिसरान अब्दुल व जनत पत्नी अब्दुल का नाम अमलदरामद किया गया। ताजखां उर्फ ताहर दिनांक 10.07.2013 को फौत होने पर उनकी पत्नी बम्बी के नाम नामांतरकरण भरा गया तथा बम्बी दिनांक 16.05.2020 को फौत होने पर नामांतरकरण संख्या 1806 दिनांक 20.07.2020 को हल्का पटवारी द्वारा इनके निकटतम वारिस की जांच, पड़ताल किए बिना गैर कानूनी तरीके से, लिपिकीय भूल से हनीफ के पुत्रों को वारिश बताकर नामान्तरकरण प्रस्तावित कर दिया। निकटतम वारिस सगा भाई वादी हनीफ होने के बावजूद भी अपने हक हकूकों से वंचित करने के लिए हल्का पटवारी ने मिलावट कर बिना जांच पड़ताल किए वादी के पुत्र/प्रतिवादी संख्या 02 से 03 के वारिसों के नाम से विधि विरूद्ध नामान्तरकरण प्रस्तावित कर दिया। इसी प्रकार आगे से आगे आलु के नाऔलाद फौत होने पर नामांतरकरण संख्या 2128 के द्वारा वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा वादी एवं 1/2 हिस्सा वादी के पुत्र/प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के वारिसों के नाम से नामान्तरकरण गलत व विधि विरूद्ध रूप से पारित कर दिया गया, जबकि आलु का निकटतम वारिस वादी है, जो वादी को अपने हक हकूकों से वंचित कर वादी के हकों पर कुठाराघात किया गया है, जो ऐसे किए गए तमाम नामान्तरकरण आदेश विधि विरूद्ध होने से हर सुरत में निरस्त योग्य है।

रहीम के तीन पुत्र मैं वादी हनीफ तथा ताजखां/ताहर, आलु थे। मेरे दोनों सगे भाई ताजखां/ताहर व आलु के नाऔलाद हो गये है, जिससे मैं वादी हनीफ ही एकमात्र निकटतम वारिस हूं। लेकिन ताजखां/ताहर के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी में बम्भी पत्नी ताहर/ताजखां का नामान्तरकरण भरा गया तथा बम्भी पत्नी ताहर/ताजखां के नाऔलाद फौत होने पर गलत व विधि विरूद्ध रूप से मुझ वादी के पुत्र/प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को ताजखां/ताहर के वारिस बताकर विधि विरूद्ध व लिपिकीय भूल से गलत नामान्तरकरण भरा गया। प्रतिवादीगण के आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में पिता का नाम हनीफ है तथा जमाबन्दी में पिता का नाम ताजखां/ताहर है। इसी प्रकार आगे आलु के नाऔलाद फौत होने पर मुझ वादी का एवं मुझ वादी के पुत्रों/प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 के वारिसों के नाम गलत नामान्तरकरण भरा गया। जिससे उक्त तमाम नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी में मैं वादी एकमात्र निकटतम वारिस होने से वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी में वादी मेरे नाम घोषित करवाने का उत्तराधिकारी अधिनियम में विहित प्रथम श्रेणी में वादी कानूनी हक पानें का अधिकारी हूं। पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल के.सी.सी. करवाने के लिए प्राप्त की तो जानकारी में आया कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण/मुझ वादी के पुत्रों का नाम ताहर/ताजखां के वारिस बताकर गलत ना[illegible]रवाया गया है, प्रतिवादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.11 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

आधार कार्ड में पिता का नाम हनीफ है, जमाबंदी में ताजखां/ताहर है। जिस पर हमने गांव में पंच पंचायती करवाई लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा प्रतिवादीगण उसके बाद आए दिन वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा कर वादी को बेदखल करने के ऐलानियां धमकियां देते हैं तथा वादग्रस्त भूमि को अजनबी बदमाश व्यक्ति को बेचान, रहन, तर्क कर मौके से जबरन बेदखल करने की धमकियां दी। वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष वादी को दिलाया जावें–" सरहद मौजा सिंहानिया के खसरा नंबर 548/281 रकबा 12.1406 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 856/547 रकबा 6.0703 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आई हुई है, जिसमें वादी के सगे भाई ताजखां/ताहर व उनकी पत्नी बम्भी एवं आलु के नाऔलाद फौत होने पर प्रतिवादी के नाम किए गए तमाम नामान्तरकरण निरस्त योग्य है तथा उनके निकटतम वारिस मैं वादी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में वादी का मालिकाना हक हकूक होने से व मौके पर कब्जे काश्त होने से वादग्रस्त आराजी की खातेदारी घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावें। उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के मालिकाना हक हकूक व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी पैदा करें एवं न ही अन्य किसी से करावें। न ही प्रतिवादीगण जबरन वादीगण को बेदखल करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वादी साक्ष्यों में PW-1 में हनीफ पुत्र रहीम जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का शपथ–पत्र व PW-2 में गुलाम हुसैन पुत्र असरफ जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा का शपथ–पत्र पेश किए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, प्रार्थी का वाद संख्या 127/2024 उनवान हनीफ बनाम आसिकअली वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.11 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 127/2024
उनवान हनीफ बनाम आसिकअली वगैरा

अतः उपर्युक्त साक्ष्यों, तथ्यों के विवेकसंगत अवलोकन तथा विचारण के आलोक में खेत मौजा सिंहानिया पटवार मण्डल अरटी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 548/281 रकबा 12—1406 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 856/547 रकबा 6—0703 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा वादी की खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी सेड़वा

सहायक कलेक्टर सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.11 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested